न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— गंगाधर मीणा (R.A.S.)

अपील प्रा0 पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
07 / 2019	23.04.2019	17.11.21

उनवान

1. राजकुमार पुत्र श्री विनोदीलाल जाति महाजन ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.

—: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत हरसौली पं0स0 कोटकासिम जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हरसौली प0 स0 व तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. संदीप कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: असल रेस्पोडेन्ट

3. सतीश कुमार
4. सुरेश कुमार
5. प्रदीप कुमार
6. अजय कुमार पुत्रान श्री विनोदीलाल
7. तारामणी
8. सुषमा पुत्रीयान विनोदलाल
9. सवितादेवी पत्नी श्री महेश कुमार पुत्र श्री विनोदीलाल
10. सौरभ
11. गौरव पुत्रान श्री महेश कुमार पुत्र श्री विनोदीलाल
12. काजल पुत्री श्री महेश कुमार पुत्र श्री विनोदीलाल जाति महाजन निवासीयान ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: तर0 तीबी रेस्पोडेन्टान

—: निर्णय :—

दिनांक :— 17/11/21

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

नामान्तकरण मृतक विनोदलाल पुत्र दुलीचन्द जाति महाजन ग्राम हरसौली की विरास्त का दर्ज वो स्वीकार हुआ है। मृतक विनोदीलाल के जायज व विधिक वारिसान मिन अपीलान्ट (राजकुमार) व तरतीबी रेस्पोन्टान संख्या 3 लगायत 6 (सतीष कुमार, सुरेश कुमार, प्रदीप कुमार, अजय कुमार) पुत्रान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान संख्या 7 व 8 (तारामणी व सुषमा) पुत्रीयान व मृतक महेश कुमार पुत्र है जिनके वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्टा संख्या 9 लगायत 12 है। इनके अलावा मृतक विनोदीलाल के कोई जायज व विधिक वारिसान नही है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने मृतक विनोदीलाल का नामान्तकरण संख्या 4347 दर्ज करते समय नामान्तकरण संख्या 4347 के कॉलम संख्या 9 में मृतक विनोदीलाल के जायज प्रदीप कुमार, अजय कुमार पुत्रान व तारामणी, सुषमा पुत्रीयान व अगूरीदेवी पत्नी विनोदीलाल के नाम सही दर्ज कर दिया परन्तु ग्राम पंचायत हरसौली ने सहवन से उक्त नामान्तकरण दिनांक 07.10.2014 को स्वीकार करते समय मृतक विनोदीलाल के जायज व विधिक वारिसानों के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संदीप कुमार का नाम भी उसे विनोदीलाल का पुत्र मानते हुये दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसे बिना कोई जॉच किये व नोटिस जारी किये अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने स्वीकार करने में अहम गलती की है। जबकी मृतक विनोदीलाल के विरासन मिन अपीलान्ट व त[illegible]टान संख्या 3 लगायत 12 ही है। अन्य कोई जायज व विधिक विरास[illegible] जाति महाजन ग्राम हरसौली के संदीप कुमार नामक कोई पुत्र संतान नही है बल्की [illegible]ट संख्या 2 संदीप कुमार, मृतक विनोदीलाल का सगा पौत्र है और इसके पिता का नाम सुरेशचन्द है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सुरेशचन्द के नाम से जो परिवार राशनकोर्ड संख्या 01442 ग्राम [illegible]सौली का बना हुआ है उसके संख्या 3 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम पुत्र के रूप में दर्ज हो रहा है एवं जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम का आधार कार्ड बना हुआ है उसमं भी उसके पिताजी का नाम सुरेशचन्द ही दर्ज है व सेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समस्त शैक्षणिक कागजातो मे भी उसके पिताजी का सुरेश चन्द ही दर्ज है इससे भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संदीप कुमार, मृतक विनोदीलाल का पुत्र संतान नही है। नामान्तकरण संख्या 4347 में दर्ज आराजीयात पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:04:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

काबिज है। ऐसी सूरत में इस आलोच्य नामान्तकरण संख्या 4347 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाना/हटाया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत हरसौली दिनांक 07.10.2014 बाबत नामान्तकरण/इन्तकाल संख्या 4347 ग्राम हरसौली से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संदीप कुमार का नाम कलमजन किया जावे/हटाया जावे। इसी कदर हाल खसरा नम्बर 1038/0.2900, 1039/0.1200, 1040/0.0400 है0 वाके ग्राम हरसौली की राजस्व जमाबन्दीयात में से भी संदीप कुमार का नाम कलमजन/हटाया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र प्रशासन गाव के संग अभियान–2021 के शिविर हरसौली में पेश हुई।

1. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल नामान्तरकरण सं0 4347 वाके ग्राम हरसौली, ग्राम पंचायत हरसौली एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73, नकल परिवार राशनकार्ड, नकल आधार कार्ड, नकल मृत्यु प्रकरण पत्र की छायाप्रति पेश की है।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
3. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

   हल्का पटवारी ने मृतक विनोदीलाल का नामान्तकरण संख्या 4347 दर्ज करते समय मृतक विनोदीलाल के जायज प्रदीप कुमार, अजय कुमार पुत्रान व तारामणी, सुषमा पुत्रीयान व अगूरीदेवी पत्नी विनोदीलाल के नाम सही दर्ज कर दिया परन्तु ग्राम पंचायत हरसौली ने सहवन से उक्त नामान्तकरण दिनांक 07.10.2014 को स्वीकार करते समय मृतक विनोदीलाल के जायज व विधिक वारिसानों के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 संदीप कुमार का नाम भी उसे विनोदीलाल का पुत्र मानते हुये दर्ज कर स्वीकार किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 विनोदीलाल का वारिस नही है। इस प्रकार उक्त आदेश मातहत अदालत हरसूरत में काबिले अपास्त है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय अपील अपीलान्ट स्वीकार होना पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत हरसौली ग्राम समिति कोटकासिम जिला अलवर राज0 दिनांक 07.10.2014 बाबत इन्तकाल सं0 4347 ग्राम हरसौली, ग्राम पंचायत हरसौली तहसील कोटकासिम को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, कोटकासिम को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करें।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 17.11.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, अलवर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:04:50 IST
Reason: SelfAttested